(116)

प्र/ निग0/रीवा/भू-रा0/2017/3171

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

कोर्ट फी COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
विलोपित विलोपित विलोपित विलोपित 30/-

रामलखन मिश्रा पिता स्व0 श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा उम्र 66 वर्ष, पेशा-कृषिकार्य, निवासी ग्राम-कंजी, पोस्ट-खड्डा, तहसील -सेमरिया, जिला-रीवा (म0प्र0)

.........आवेदक

बनाम

रामाश्रय पाण्डेय पिता स्व0 श्री समयलाल पाण्डेय उम्र लगभग 68 वर्ष, पेशा-कृषिकार्य, निवासी ग्राम-कंजी, पोस्ट-खड्डा, तहसील-सेमरिया, जिला-रीवा (म0प्र0)

.... अनावेदक

आवेदक श्री रामलखन मिश्रा द्वारा पेश 07-9-17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश रा0नि0म0 शाहपुर, तहसील-सेमरिया, जिला-रीवा म0प्र0 बावत् प्रकरण कमांक-72/ए12 /2016-17आदेश दिनांक 24-07-17 निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

महोदय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश (निर्णय) विधि एवं प्रकिया एवं नैर्सगिक के न्याय के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।
2. यह कि सीमांकन के समय किसी भी बंदोवस्ती चिन्ह् को आधार मानकर नाम-जोख नहीं की गई और न ही ऐसा कोई प्रतिवेदन में ही उल्लेख किया गया है, जिस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन ही प्राथमिक रूप में ही गलत है मात्र इस भूमि का रकबा

रामलखन मिश्रा

(116)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निग./2017/3171 जिला रीवा

रामलखन मिश्रा विरूद्ध रामाश्रय पाण्डेय

1	2	3
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री रामलखन मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 72/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 07-03-2019 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

प्राथमिक रूप में ही गलत है मात्र इस भूमि का ...

रामलखन मिश्रा